



Neutral Citation No. - 2026:AHC:33306

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अंतर्गत धारा 528 बीएनएसएस आवेदन संख्या - 3690 सन् 2026

अवधेश निषाद एवं 4 अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी

पक्षकार(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: सुधीर मेहरोत्रा, सुयश मेहरोत्रा

विपक्षी पक्षकार(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 82

माननीय पद्म नारायण मिश्रा, न्यायमूर्ति

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया गया।
2. यह आवेदन धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अधीन आवेदकों द्वारा अपर जिला न्यायाधीश-XVI/विशेष न्यायाधीश (पी.सी.), इलाहाबाद द्वारा अंतर्गत धारा 323, 325/34, 504 एवं 506 भा.दं.सं., थाना - दारागंज, जिला - इलाहाबाद में मुकदमा अपराध संख्या 03 सन् 2014 से उद्भूत सत्र विचारण संख्या 354 सन् 2016 (राज्य बनाम फैजान हुसैन एवं अन्य) में, दिनांक 13.01.2026 के पारित विवादित आदेश को निरस्त करने के लिए दाखिल किया गया है, जिसके द्वारा सूचीकरण की प्रथम तिथि पर ही आवेदकों के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट (एन.बी.डब्ल्यू.) जारी किए गए थे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. वर्तमान मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रश्नगत विशेष घटना दिनांक 01.01.2014 को घटित हुई जिसके विरुद्ध विपक्षी पक्षकार संख्या 2 द्वारा आवेदकों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई थी जो मुकदमा अपराध संख्या 2 सन् 2014 के रूप में पंजीकृत है। आवेदकों ने भी उक्त घटना का एक प्रतिकूल मामला दर्ज कराया जो मुकदमा अपराध संख्या 3 सन् 2014 के रूप में पंजीकृत हुआ। तत्पश्चात् आवेदकों की प्रेरणा पर दर्ज मामला दिनांक 02.05.2016 के आदेश द्वारा जिला न्यायाधीश, इलाहाबाद को सुपुर्द किया गया। तत्पश्चात्, जिला न्यायाधीश, इलाहाबाद ने मुकदमा अपराध संख्या 3 सन् 2014 को अपर जिला न्यायाधीश-16/विशेष न्यायाधीश (पी.सी.) अधिनियम, इलाहाबाद के न्यायालय को अन्तरित किया। विचारण न्यायालय ने अन्तरित होने पर अभिलेख प्राप्त होने के प्रथम तिथि पर ही दिनांक 13.01.2023 के आदेश द्वारा समस्त आवेदकों के विरुद्ध एन.बी.डब्ल्यू. जारी किया।
4. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण के निवेदन पर विचार करने तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन करने के पश्चात्, ऐसा प्रतीत होता है कि अपर जिला न्यायाधीश-XVI/विशेष न्यायाधीश (पी.सी.), इलाहाबाद ने सत्र विचारण संख्या 354 सन् 2016 में दिनांक 13.01.2026 का विवादित आदेश सुस्थापित विधिक सिद्धान्तों की पूर्ण अवहेलना करते हुए अत्यन्त शीघ्रतापूर्ण रीति से न्यायिक मन का प्रयोग किए बिना पारित किया है। आवेदकों, जो तथ्यों के साक्षी हैं, के विरुद्ध पारित विवादित आदेश, मामले के जिला न्यायाधीश, अलीगढ़ के न्यायालय से अपर जिला न्यायाधीश-16/विशेष न्यायाधीश (पी.सी.) अधिनियम के न्यायालय को अन्तरण के पश्चात् सर्वप्रथम अवसर पर ही, साक्षियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के अन्य साधनों का सहारा लिए बिना, एन.बी.डब्ल्यू. जारी करने के लिए विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित वस्तुगत समाधान को परिलक्षित नहीं करता। इस अवस्था में, बी.एन.एस.एस. की धारा 90 का विवेचन करना अपरिहार्य है। बी.एन.एस.एस. की धारा 90 निम्नवत् है:

धारा 90 – सम्मन के स्थान पर, या उसके अतिरिक्त, वारंट का जारी किया

जाना।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालय किसी भी ऐसे मामले में, जिसमें वह किसी व्यक्ति की उपस्थिति के लिए समन जारी करने के लिए इस संहिता द्वारा सशक्त किया गया है, अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात्, उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकेगा-

(क) यदि या तो ऐसा समन जारी किए जाने के पूर्व या पश्चात् किंतु उसकी उपस्थिति के लिए नियत समय के पूर्व न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण दिखाई पड़ता है कि वह फरार हो गया है या समन का पालन नहीं करेगा या

(ख) यदि वह ऐसे समय पर उपस्थित होने में असफल रहता है और यह साबित कर दिया जाता है कि उस पर समन की तामील सम्यक् रूप से ऐसे समय में कर दी गई थी कि उसके तदनुसार उपस्थित होने के लिए अवसर था और ऐसी असफलता के लिए कोई उचित प्रतिहेतु नहीं दिया जाता है ।

5. उपर्युक्त धारा के सरल पठन से यह स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति की न्यायालय के समक्ष उपस्थिति के लिए सामान्य कार्यवाही की प्रक्रिया से तभी विचलन किया जा सकता है जब न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण हो कि वह फरार हो गया है या सम्मन का पालन नहीं करेगा। विवादित आदेश उक्त उल्लिखित अपेक्षा के अनुपालन को प्रकट नहीं करता। एन.बी.डब्ल्यू. जारी करना एक गम्भीर विषय है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा संरक्षित व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को प्रभावित करता है। वारंट जारी करने की प्राधिकारिता, जमानतीय हो या न हो, इसलिए सावधानीपूर्वक और मनमाने ढंग से नहीं प्रयोग की जानी चाहिए। तथापि, न्यायालयों ने यह स्पष्ट किया है कि उनका विवेकाधिकार मुख्यतः व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने एवं दाण्डिक न्याय प्रणाली को बाधित होने से रोकने पर केन्द्रित है। एन.बी.डब्ल्यू. एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विधिक कार्यवाही है जिसे अन्तिम उपाय के रूप में अपनाया जाना है जब साक्षी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के अन्य साधन विफल हो गए हों। वारंट जारी करने से पूर्व, एक न्यायाधीश साक्षी की विश्वसनीयता, उसकी गवाही के महत्व, मामले



में उसके साक्ष्य की सुसंगति, तथा यदि कोई कम करने वाली परिस्थितियाँ हैं जिनके कारण साक्षी सुनवाई में अनुपस्थित रहा हो, जैसे कारकों पर विचार करता है।

6. उच्चतम न्यायालय ने **संदर्भ : इन्दर मोहन गोस्वामी एवं अन्य बनाम उत्तरांचल राज्य एवं अन्य, (2007) 12 एससीसी 1** के प्रकरण में यह यन्त्रणा स्पष्ट की है कि किस प्रकार किसी व्यक्ति की स्वतन्त्रता संकुचित की जा सकती है, क्योंकि प्रत्येक नागरिक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन अपनी स्वतन्त्रता का मौलिक अधिकार प्राप्त है। उक्त निर्णय के सुसंगत पैराग्राफ नीचे पुनः प्रस्तुत किए जा रहे हैं:-

"गैर-जमानती वारंट कब जारी किए जाने चाहिए।

53. किसी व्यक्ति को न्यायालय में लाने के लिए गैर-जमानती वारंट जारी किया जाना चाहिए जब सम्मन या जमानती वारंट से वांछित परिणाम मिलने की संभावना न हो। यह तब हो सकता है जब:

यह विश्वास करना युक्तियुक्त हो कि व्यक्ति स्वेच्छा से न्यायालय में उपस्थित नहीं होगा; या

पुलिस प्राधिकारी उस व्यक्ति को सम्मन तामील करने के लिए ढूँढ़ने में असमर्थ हो; या

यह माना जाता हो कि यदि व्यक्ति को तुरन्त अभिरक्षा में नहीं लिया गया तो वह किसी को हानि पहुँचा सकता है।

54. जहाँ तक सम्भव हो, यदि न्यायालय की यह राय है कि अभियुक्त की न्यायालय में उपस्थिति प्राप्त करने के लिए एक सम्मन पर्याप्त होगा, तो सम्मन या जमानती वारंट को वरीयता दी जानी चाहिए। वारंट, जमानती हो या गैर-जमानती, तथ्यों की समुचित जाँच एवं मन के पूर्ण प्रयोग के बिना कदापि जारी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वारंट जारी होने पर अत्यन्त गम्भीर परिणाम एवं प्रभाव होते हैं। न्यायालय को बहुत सावधानी से यह परीक्षण करना चाहिए कि क्या आपराधिक शिकायत या एफ.आई.आर. किसी छिपे हुए उद्देश्य से दाखिल नहीं की गई है।



55. शिकायत के मामलों में, सर्वप्रथम अवसर पर, न्यायालय को शिकायत की प्रति के साथ सम्मन तामील करने का निदेश देना चाहिए। यदि अभियुक्त सम्मन से बचता प्रतीत हो, तो न्यायालय को द्वितीय अवसर पर जमानती वारंट जारी करना चाहिए। तृतीय अवसर पर, जब न्यायालय को पूर्णतः सन्तोष हो जाए कि अभियुक्त जानबूझकर न्यायालय की कार्यवाही से बच रहा है, तो गैर-जमानती वारंट जारी करने की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सर्वोपरि है, इसलिए हम न्यायालयों को सावधान करते हैं कि वे प्रथम एवं द्वितीय अवसर पर गैर-जमानती वारंट जारी करने से प्रविरत रहें।

56. यह शक्ति विवेकाधीन होने के कारण अत्यन्त सावधानी एवं विवेक के साथ न्यायपूर्ण रूप से प्रयोग की जानी चाहिए। न्यायालय को वारंट जारी करने से पूर्व व्यक्तिगत स्वतन्त्रता एवं सामाजिक हित दोनों के बीच समुचित संतुलन बनाना चाहिए। वारंट जारी करने के लिए कोई एकरूप सूत्र नहीं हो सकता, किन्तु सामान्य नियम के रूप में, जब तक किसी अभियुक्त पर किसी जघन्य अपराध के किए जाने का आरोप न हो और यह भय न हो कि वह साक्ष्य से छेड़छाड़ या उसे नष्ट कर सकता है अथवा विधि की प्रक्रिया से बच सकता है, गैर-जमानती वारंट जारी करने से बचा जाना चाहिए।

57. न्यायालय को गैर-जमानती वारंट जारी करते समय व्यक्तिगत स्वतन्त्रता एवं जनता तथा राज्य के हित के बीच समुचित संतुलन बनाने का प्रयास करना चाहिए।"

7. धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अधीन अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने तथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जाना है (**हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 अनुपूरक (1) एससीसी 335**)। प्रस्तुत मामला उच्च न्यायालय की बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अधीन निहित अन्तर्निहित शक्तियों के प्रयोग के लिए उचित मामला है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. अपर जिला न्यायाधीश-XVI/विशेष न्यायाधीश (पी.सी.), इलाहाबाद द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 03 सन् 2014 से उद्भूत सत्र विचारण संख्या 354 सन् 2016 (राज्य बनाम फैजान हुसैन एवं अन्य) में, दिनांक 13.01.2026 का पारित विवादित आदेश तद्द्वारा निरस्त किया जाता है। सम्बंधित विचारण न्यायालय को निदेश दिया जाता है कि वह उपर्युक्त की गई टिप्पणियों के आलोक में एक नया आदेश पारित करे।

(पद्म नारायण मिश्रा, न्यायमूर्ति)

फरवरी 13, 2026